न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 837/2023
अनवान : –

1. छोटी देवी पुत्री भादर पत्नी शंकरलाल जाति भाट निवासी वार्ड स0 3 गांधीनगर नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 00/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 538/522 की कुल 8.5240 हैक्ट भूमि में से 217/4262 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 539/521 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादीया का नाम गुडडी पुत्री भादर दर्ज है वादिया की शादी हो चुकी है तथा वादीया को ससुराल में नाम छोटी देवी है। वादिया का नाम छोटी देवी होने के कारण वादिया अपना नाम जमाबंदी में दुरूस्त करवाकर अपना नाम गुडी देवी की जगह छोटी देवी संशोधित करवा पाने की अधिकारीणी है। यही बिनाय दावा है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गलत दर्ज होने के वादीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग नही कर पा रही है। अतः वादीया के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दुरूस्त किया जावे।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक दस्तावेज दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की गुडडी व छोटी देवी एक ही महिला के नाम है अतः राजस्व रिकार्ड में गुडडी के स्थान पर छोटी देवी नाम किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम गुडडी पुत्री भादर है तथा वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन[illegible]र्ड आदि में वादीया का नाम छोटी देवी पत्नी शंकरलाल है। अतः वादीया अपने दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छोटी देवी पुत्री भादर पत्नी शंकरलाल दर्ज करवाना चाहती है राजस्व रिकार्ड में नाम [illegible] दर्ज होने से वादीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 538/522 की कुल 8.5240 हैक्ट भूमि में से 217/4262 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 539/521 की कुल 2. 2640 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गुडडी पुत्री भादर दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादीया का नाम छोटी देवी पत्नी भादर दर्ज है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 538/522 की कुल 8.5240 हैक्ट भूमि में से 217/4262 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 539/521 की कुल 2. 2640 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम गुडी पुत्री भादर व गुडडी पुत्री भादर के स्थान पर गुडडी उर्फ छोटी देवी पुत्री भादर पत्नी शंकरलाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच गुडी पुत्री भादर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुडी पुत्री भादर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुडी पुत्री भादर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 837 / 2023
अनवान : –

1. छोटी देवी पुत्री भादर पत्नी शंकरलाल जाति भाट निवासी वार्ड स0 3 गांधीनगर नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 837 सन 2023 निर्णय दिनांक – 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 538 / 522 की कुल 8.5240 हैक्ट भूमि में से 217 / 4262 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 539 / 521 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम गुडी पुत्री भादर व गुडडी पुत्री भादर के स्थान पर गुड़डी उर्फ छोटी देवी पुत्री भादर पत्नी शंकरलाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच गुडी पुत्री भादर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुडी पुत्री भादऱ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम गुडी पुत्री भादर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:13 IST
Reason: SelfAttested